उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 08.10.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांक- 08.10.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त हुई शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक – 08.10.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था का लिया गया जायजा, सम्बन्धित को दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश-

आज दिनांकः- 08.10.2025 को बैंक व अन्य वित्तीय संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जनपद महोबा में पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में एवं क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री दीपक दुबे के नेतृत्व में जनपदीय पुलिस के अधिकारियों एवं कर्मचारिओं द्वारा जनपद में संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत अभियान चलाया गया, जिसके क्रम में जनपद के समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाली विभिन्न बैंकों में पहुंचकर बैंको की सुरक्षा व्यवस्था को चेक किया गया व विभिन्न सुरक्षा उपकरणों की स्थिति की समीक्षा की गयी।

जनपदीय पुलिस बल द्वारा क्षेत्रअन्तर्गत संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में भ्रमणशील रहे, इस दौरान बैंक के अन्दर व बाहर संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी तथा अनावश्यक रूप से खड़े व्यक्तियों को पूंछताछ कर वहाँ से हटाया गया तथा बैंक के अन्दर उपस्थित भीड़ को कतारबद्ध किया गया साथ ही बैंक के अन्दर स्थित सीसीटीवी कैमरों, वार्निंग अलार्म एवं सुरक्षा सम्बन्धी उपकरणों को परखा गया एवं शाखा प्रबन्धक से सुरक्षा बिन्दुओं पर वार्ता की गयी, इस दौरान ड्यूटी में मौजूद सुरक्षा कर्मियों को सतर्कता के साथ ड्यूटी करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, इसके साथ ही बैंकों के बाहर खड़े व्यक्तियों से पूछताछ की गयी व उन्हे अनावश्यक रुप से न खड़े होने की हिदायत दी गयी।

इसी क्रम में पुलिस टीम ने बैंक चेकिंग के दौरान बैंक आये हुए आम जनमानस से संवाद स्थापित कर उनको धोखा-धड़ी, जालसाजी, ठगी/टप्पेबाजी से बचाव हेतु जागरूक किया गया।

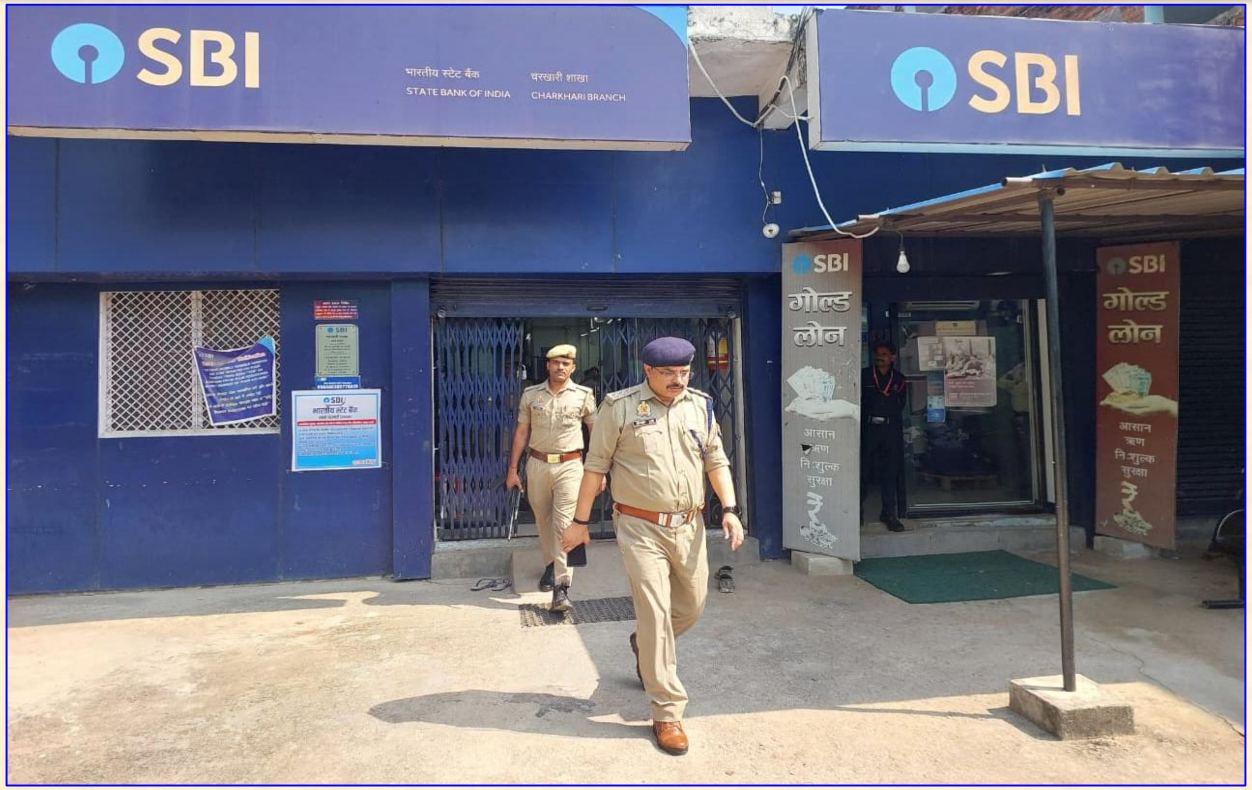

महोबा पुलिस

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक – 08.10.2025

मीडिया सेल, महोबा

“महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के प्रति थाना पनवाड़ी मिशन शक्ति केंद्र की सार्थक पहल”

जनपद महोबा में मिशन शक्ति अभियान 5.0 के अंतर्गत संचालित थाना पनवाड़ी स्थित मिशन शक्ति केंद्र ने महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं सशक्तिकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पुनः सार्थक करते हुए एक और सफल हस्तक्षेप किया है।

आज दिनांक 08.10.2025 को आवेदिका जयंती पत्नी लल्लू अहिरवार निवासी ग्राम देवगनपुरा थाना पनवाड़ी जनपद महोबा द्वारा अपने पति लल्लू अहिरवार पुत्र गनपत अहिरवार के विरुद्ध शराब पीकर आए दिन मारपीट एवं गाली-गलौज करने के संबंध में मिशन शक्ति केंद्र, थाना पनवाड़ी पर प्रार्थना पत्र दिया गया।

मिशन शक्ति केंद्र में नियुक्त महिला पुलिस अधिकारियों/आरक्षियों द्वारा शिकायत का तत्काल संज्ञान लेते हुए उभय पक्षों को थाने पर बुलाया गया। तत्पश्चात संवाद एवं काउंसलिंग की प्रक्रिया कराई गई। धैर्यपूर्वक समझाने-बुझाने और परामर्श के उपरांत पति-पत्नी के बीच आपसी सहमति से प्रेमपूर्वक समझौता कराया गया।

इस पहल के परिणामस्वरूप पति-पत्नी के मध्य अब आपसी सौहार्द एवं पारिवारिक सामंजस्य स्थापित हो गया है तथा विवाद समाप्त हो गया है। मिशन शक्ति टीम द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि भविष्य में समय-समय पर आवेदिका जयंती के मोबाइल नंबर पर कॉल कर फीडबैक लिया जाएगा, जिससे उसकी सुरक्षा एवं संतोष का ध्यान रखा जा सके।

यह घटना मिशन शक्ति केंद्र, थाना पनवाड़ी की संवेदनशीलता, त्वरित कार्रवाई एवं महिला पुलिस अधिकारियों की सक्रियता का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसके माध्यम से एक परिवार को टूटने से बचाया गया तथा महिला को न्याय एवं सुरक्षा का भरोसा दिलाया गया।

जनपद महोबा पुलिस मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने हेतु निरंतर तत्पर है।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं
प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 08.10.2025
महोबा पुलिस
मीडिया सेल, महोबा

मिशन शक्ति अभियान-5.0 के तहत "Run For Empowerment (मैराथन)" का आयोजन

महिला सुरक्षा, सम्मान एवं सशक्तिकरण का सशक्त संदेश

आज दिनांक 08.10.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के संयुक्त नेतृत्व में "मिशन शक्ति अभियान-5.0" के तहत महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के उद्देश्य से जनपद स्तर पर "Run For Empowerment (मैराथन)" का आयोजन किया गया।

इस Run For Empowerment (मैराथन) में जनपद के विभिन्न विद्यालयों की छात्राओं, महिला पुलिसकर्मियों तथा अन्य प्रतिभागियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया और समाज को महिला सुरक्षा, सम्मान एवं सशक्तिकरण का सशक्त संदेश दिया।

कार्यक्रम में लगभग 300 लोगों की उपस्थिति रही। दौड़ के दौरान महिला सुरक्षा से सम्बन्धित विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों एवं अपराधों के प्रति जागरूकता हेतु लगभग 400 से अधिक पम्पलेट एवं प्रचार-प्रसार सामग्री वितरित की गई। कार्यक्रम में विशेष रूप से महिलाओं एवं बालिकाओं द्वारा बढ़-चढ़कर प्रतिभाग किया गया।

इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा पुलिस लाइन महोबा से पुलिस कार्यालय महोबा तक मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। पुलिस अधीक्षक महोबा एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा स्वयं भी इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करते हुए महिला प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया गया।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली महिला प्रतिभागियों की सराहना करते हुए कहा गया कि-

"जब एक बालिका दौड़ में भाग लेती है, तो वह केवल दौड़ नहीं रही होती, बल्कि अपने अधिकारों, आत्मबल और सपनों की ओर अग्रसर होती है। मिशन शक्ति केवल एक अभियान नहीं, बल्कि यह एक सामाजिक क्रांति है जिसका उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति सजग करना और उन्हें सशक्त बनाना है।"

महोबा पुलिस

अपर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा कहा गया कि- महिला सुरक्षा में समाज की सहभागिता अत्यंत आवश्यक है। जब तक समाज के सभी वर्ग मिलकर योगदान नहीं देंगे, तब तक कोई भी प्रयास पूर्ण नहीं हो सकता। अंत में उपस्थित छात्राओं व महिलाओं को यह संदेश दिया गया कि वे निर्भीक होकर अपने सपनों को साकार करें- जनपदीय पुलिस प्रशासन सदैव उनके साथ हैं।

कार्यक्रम के दौरान महिलाओं व बालिकाओं को केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित सुरक्षा सेवाओं और कल्याणकारी योजनाओं- जैसे वीमेन पावर हेल्पलाइन 1090, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, वन स्टॉप सेंटर 181, साइबर हेल्पलाइन 1930, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 आदि के साथ-साथ मिशन शक्ति अभियान, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, निराश्रित विधवा पेंशन योजना, जननी सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, तथा बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं की जानकारी दी गई और जागरूक किया गया।

अपर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा सर्किल सदर के विवेचकों का अर्दली रुम किया गया, आगामी त्यौहारो को लेकर दिये गये आवश्यक दिशा निर्देश।

दिनांक 07.10.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह द्वारा क्षेत्राधिकारी सदर श्री अरुण कुमार सिंह की उपस्थिति में थाना कोतवाली नगर में सिटी सर्किल के विवेचकों के साथ गोष्ठी आयोजित की गयी। बैठक में थाना कोतवाली नगर, थाना कबरई, थाना खन्ना क्षेत्र व चौकियों के प्रभारीगण, विवेचकगण तथा अन्य अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे।

बैठक में निम्न महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विस्तार से चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किये गये-

विवेचना निस्तारण –

- लंबित विवेचनाओं का शीघ्र, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण किया जाये।
- विवेचना में लापरवाही/शिथिलता किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं होगी।

महिला सम्बन्धी अपराधों पर त्वरित कार्यवाही –

- महिला व बालिकाओं से सम्बन्धित अपराधों पर तात्कालिक व प्रभावी कार्यवाही की जाये।
- 1090, 112 डायल सेवा एवं महिला हेल्पलाइन का प्रचार-प्रसार कर पीड़ितों को सहायता उपलब्ध करायी जाये।
- थाना/चौकी स्तर पर महिला हेल्प डेस्क/मिशन शक्ति केन्द्र को और अधिक सक्रिय रखने के निर्देश दिये गये।
- मिशन शक्ति अभियान 5.0 के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यक्रमों की श्रृंखला के क्रम में तिथिवार कार्यक्रमों का आयोजन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, अधिक से अधिक जनसहभागिता सुनिश्चित करते हुए अभियान को प्रभावी एवं सफल रूप से संपन्न कराया जाए।

कानून-व्यवस्था एवं आगामी त्यौहारों की तैयारी –

- आगामी त्यौहारों दीपावली, भैयादूज आदि को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस बल को सतर्क रहने एवं प्रभावी गश्त/चेकिंग करने हेतु निर्देशित किया गया।
- संवेदनशील स्थलों पर विशेष निगरानी, शांति समिति की बैठकें एवं धार्मिक आयोजनों में पुलिस की सक्रिय उपस्थिति सुनिश्चित की जाये।
- सोशल मीडिया पर अफवाहों पर पैनी नजर रखते हुए त्वरित खण्डन/कार्रवाई की जाये।

जनसुनवाई व शिकायत निस्तारण –

- पुलिस थानों/चौकियों पर आने वाले प्रत्येक फरियादी की शिकायत का संवेदनशीलता एवं गंभीरता से निस्तारण किया जाये।
- थाना दिवस के अवसर पर फरियादियों की समस्याओं को प्राथमिकता दी जाये।

अपराध नियंत्रण एवं रोकथाम –

- सक्रिय अपराधियों, हिस्ट्रीशीटरों एवं वांछित अभियुक्तों की धरपकड़ हेतु सतत अभियान चलाया जाये।
- रात्रिकालीन गश्त, बैंक/एटीएम/मार्केट क्षेत्र में पुलिस की उपस्थिति बढ़ाई जाये।

बैठक के अंत में अपर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा स्पष्ट किया गया कि पुलिस का मुख्य उद्देश्य जनसामान्य को सुरक्षित एवं भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराना है।

जिलाधिकारी महोबा व पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा संयुक्त रुप से उपकारागार महोबा का किया गया औचक निरीक्षण।

आज दिनांक 08.10.2025 को जिलाधिकारी महोबा श्रीमती गजल भारद्वारज एवं पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा संयुक्त रूप से उपकारागार महोबा का औचक निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान उपकारागार में निरुद्ध बंदियों के आवासीय बैरक, विशेषकर महिला बंदियों के बैरकों का गहन अवलोकन किया गया, भोजनालय, अस्पताल (हॉस्पिटल), रसोईघर एवं अन्य व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया गया।

जिलाधिकारी महोबा एवं पुलिस अधीक्षक महोबा ने बंदियों से आमने-सामने वार्ता कर उनकी मूलभूत सुविधाओं के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की।

इस अवसर पर जेल अधीक्षक एवं कारागार स्टाफ को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए।

☞ विशेष रूप से यह निर्देश दिए गए कि-

- जेल परिसर के अंदर किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री प्रवेश न कर पाए, इसके लिए कड़ी सतर्कता बरती जाए।
- साफ-सफाई, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाए।
- बंदियों को उपलब्ध कराई जाने वाली भोजन एवं चिकित्सा सुविधाओं की नियमित रूप से निगरानी की जाए।
- जिलाधिकारी महोबा एवं पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा यह भी कहा गया कि कारागार एक सुधार गृह है, अतः यहां निरुद्ध बंदियों को सुधार की दिशा में प्रेरित करने हेतु सकारात्मक गतिविधियों एवं परामर्श कार्यक्रमों का संचालन किया जाना चाहिए।

इस अवसर पर पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारीगण सहित जेल अधीक्षक व कारागार के अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 08.10.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं से संवाद स्थापित कर शिकायतों का किया गया त्वरित निस्तारण

आज दिनांक 08.10.2025 को मिशन शक्ति अभियान 5.0 के अंतर्गत जनपद महोबा के प्रत्येक थाना क्षेत्र में जनचौपाल का आयोजन किया गया। आयोजित जनचौपालों में महिलाओं एवं बालिकाओं से संवाद स्थापित करते हुए उनकी समस्याओं एवं शिकायतों को गहनता से सुना गया।

इस दौरान प्राप्त शिकायतों का त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया गया। कार्यक्रमों में पुलिस विभाग के अधिकारियों एवं महिला बीट पुलिसकर्मियों द्वारा महिलाओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा संबंधी हेल्पलाइन नंबरों (1090, 181, 112 आदि) की जानकारी प्रदान की गई तथा मिशन शक्ति अभियान के उद्देश्य एवं लाभ से अवगत कराया गया।

यह सभी गतिविधियाँ पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारीगण एवं थाना प्रभारियों के पर्यवेक्षण में संपन्न कराई गईं।

मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत ऐसे जनसंवाद एवं जनचौपाल कार्यक्रमों के माध्यम से अधिक से अधिक जनसहभागिता सुनिश्चित करते हुए महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन की दिशा में सतत प्रयास जारी हैं।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 08.10.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना खन्ना की पुलिस टीम ने
01 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु आपराधिक घटनाओं में संलिप्त वांछित एवं वारण्टी अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 08.10.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर, श्री अरुण कुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना खन्ना द्वारा गठित टीम के उ0नि0 श्री लक्ष्मीनारायण सिंह मय हमराह का0 राहुल कुमार द्वारा 01 नफर वारण्टी कल्लू पुत्र रामविशाल सिंह नि0 ग्राम अकबई थाना खन्ना जनपद महोबा को केस न0 972/2006 धारा 147/323/504/506 भादवि अ0स0 171ए/96 सरकार बनाम रामबहादुर न्यायालय सिविल जज जू0डि0/जे0एम0 मौदहा जनपद हमीरपुर में मा0 न्यायालय द्वारा जारी वारण्ट के आधार पर वारण्टी उपरोक्त को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया बाद आवश्यक कार्यवाही वारण्टी उपरोक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

1. कल्लू पुत्र रामविशाल सिंह नि0 ग्राम अकबई थाना खन्ना जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.उ0नि0 लक्ष्मीनारायण सिंह

2.का0 राहुल कुमार

MAHOBA POLICE

Meticulous Investigation & Prosecution

शस्त्र अधिनियम के अभियोग में आरोपी अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि एवं 500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "Operation Conviction" के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में महोबा पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय द्वारा शस्त्र अधिनियम के अभियोग में परीक्षणोपरांत नामित अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 500/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

विवरण निम्नवत है:-

थाना खन्ना में पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0 95/2003 धारा 25 शस्त्र अधिनियम से सम्बंधित अभियुक्त उपेन्द्र पुत्र परमा प्रजापति निवासी ग्राम बन्नी थाना खन्ना जनपद महोबा को जेल में बिताई गयी अवधि व 500 रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।